माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 1186 /07 /प्रशा0/MSU/2024–25 दिनांक : 25-10-24

सेवा में,

01. प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

02. समन्वयक शैक्षणिक
विश्वविद्यालय परिसर

विषयः प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक : 19.09.2024 को प्रदेश में होने वाले दुर्घटनाओं एवं क्षति पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (उ0शि0), डिग्री विकास अनुभाग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या–डिग्री विकास/1340/2024–25, दिनांक : 24.10.2024 के साथ संलग्न उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–2533/सत्तर–3–2023–08(14)/2018, दिनांक : 09 अक्टूबर, 2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक : 19.09.2024 को प्रदेश में होने वाले दुर्घटनाओं एवं क्षति पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में सम्पन्न बैठक दिये गये निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संलग्न पत्र में उल्लिखित प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक : 19.09.2024 को प्रदेश में होने वाले दुर्घटनाओं एवं क्षति पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में सम्पन्न बैठक दिये गये दिशा–निर्देश के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन
02. शिक्षा निदेशक (उ0शि0), डिग्री विकास अनुभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
03. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

कुलसचिव

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक,(उ0शि0)
डिग्री विकास अनुभाग
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

सेवा में,

1- **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।**

2- **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/ निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश ।

3- **प्राचार्य/ प्राचार्या,**
समस्त राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश

पत्रांकः-डिग्री विकास/ 1340 / 2024-25 दिनांक- 24 / 10 /2024

विषयः-**प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक- 19.09.2024 को प्रदेश में होने वाले दुर्घटनाओं एवं क्षति पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या- 2533/सत्तर-3-2023-08(14)/2018 दिनांक- 09 अक्टूबर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक- 19.09.2024 को प्रदेश में होने वाले दुर्घटनाओं एवं क्षति पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है ।

अतः शासन का उक्त पत्र दिनांक- 09 अक्टूबर, 2024 संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित बिन्दु संख्या- 16, 17, 18 एवं 25 पर अग्रेतर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या से इस कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें ।

<u>संलग्नक-उक्तवत् ।</u>

भवदीय,

डॉ0(अपर्णा मिश्रा)
सहायक निदेशक,(उ0शि0)
कृते शिक्षा निदेशक,(उ0शि0)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

पृष्ठांकन संख्या डिग्री विकास / 1340 - 41 / उसी तिथि को ।

प्रतिलिपि- उपसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-03 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

डॉ0(अपर्णा मिश्रा)
सहायक निदेशक,(उ0शि0)
कृते शिक्षा निदेशक,(उ0शि0)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

संख्या–2533 / सत्तर–3–2023–08(14) / 2018

प्रेषक,

एस0पी0 मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
   उच्च शिक्षा उ0प्र0,
   प्रयागराज।
2. कुल सचिव
   समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय
   उ0प्र0।
3. विशेष कार्याधिकारी,
   राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ: दिनॉक 09 अक्टूबर, 2024

विषयः–प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 19.09.2024 को प्रदेश में होने वाली दुर्घटनाओं एवं क्षति पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परिवहन अनुभाग–3 के पत्र संख्या-2591 / तीस–3–2024, दिनांक 28.09.2024 (छायाप्रति संलग्न) कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त सन्दर्भित पत्र मे प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता मे दिनांक 19.09.2024 को प्रदेश मे होने वाली दुर्घटनाओं एवं क्षति पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में दिये गये कतिपय निर्देशों के बिन्दु संख्या–16, 17, 18 एवं 25 पर कार्यवाही उच्च शिक्षा विभाग के स्तर पर अपेक्षित है, जो कि निम्नवत है :-

(16) रोड सेफ्टी क्लब के सदस्यों / एन०सी०सी० / एन०एस०एस० / स्काउट–गाइड / रेंजर–रोवर के माध्यम से सडक सुरक्षा संबंधी जागरुकता कार्यक्रम प्रमुख स्थानों ब्लॉक, तहसील एवं जनपद स्तर पर आयोजन कराया जाये। इसका प्रभावी अनुश्रवण जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से किया जाये।

(17) मार्ग के किनारे स्थित विद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब एवं प्रधानाचार्य / प्रबंधक के माध्यम से सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति विद्यार्थियों को हाइवे समेत समस्त मार्गों को सही प्रकार से क्रॉस करने सम्बन्धी आदि जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित कर जागरूक किये जायें।

(18) प्रत्येक जनपद में विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की नियमित बैठक करायी जाय तथा डी0आई0ओ0एस0 / बी0एस0ए0 द्वारा प्रधानाचार्य / प्रबंधक के माध्यम से विद्यालयों के द्वारा संचालित एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा सचालित स्कूल बसें / वैन की सूची संबंधित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को उपलब्ध करायी जाये।

(25) दिनांक 02.10.2024 से दिनांक 16.10.2024 तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाये जाने के निर्देश दिये गये।

3– इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय
(एस0पी0 मिश्र)
उप सचिव।

संख्या 2633 / [illegible] 2024

प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 19.09.2024 को प्रदेश में होने वाली दुर्घटनाओं एवं क्षति पर प्रभावी नियंत्रण हेतु परिवहन निगम सभागार में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत।

प्रदेश में होने वाली दुर्घटनाओं एवं क्षति पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 19.09.2024 को परिवहन निगम के सभागार में सम्पन्न बैठक में मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 के आर्थिक सलाहकार डॉ0 के0वी0 राजू, विभागीय अधिकारी एवं स्टेक होल्डर विभागों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त वी0सी0 के माध्यम से समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)/समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/सचिव जिला सड़क सुरक्षा समिति (अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग)/जनपदीय पुलिस/यातायात के प्रभारी अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। भौतिक रूप से प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों की सूची संलग्न है।

2. बैठक के प्रारम्भ में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा हाल ही में घटित सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमें होने वाली मृत्यु की संख्या में वृद्धि पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा व्यक्त की गयी चिंता का उल्लेख करते हुए 50 प्रतिशत दुर्घटना मृत्यु में कमी लाये जाने के लक्ष्य प्राप्ति हेतु सडक दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने पर बल दिया। उक्त के सम्बन्ध में निम्नवत निर्देश दिये गये:-

1. प्रत्येक जनपद में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें नियमित रूप से प्रतिमाह निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) के सभी बिन्दुओं पर गम्भीरतापूर्वक आयोजित की जाये, मात्र औपचारिकता न की जाये। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत में एस0ओ0पी0 में निर्धारित प्रारूपों में समस्त विवरण अंकित करते हुए प्रारूपों के नीचे ही आकड़ों के विश्लेषण तथा उन पर दिये गये निर्देश/निर्णय (लक्षित समय के साथ) का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाये।

(कार्यवाही- सचिव तथा सह सचिव जिला सडक सुरक्षा समिति)

2. जिला सड़क सुरक्षा समिति की वर्ष 2024 में मात्र 02 बैठकें जनपद लखनऊ, बलरामपुर, चित्रकूट, फिरोजाबाद एवं बलरामपुर में हुई हैं, जबकि मात्र 03 बैठकें

[illegible] 04/10/2024

आजमगढ़, अयोध्या, फतेहपुर, गोंडा, श्रावस्ती एवं सिद्धार्थनगर में हुई है। बैठक में निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाही- लोक निर्माण तथा परिवहन विभाग)

3. मण्डलीय सडक सुरक्षा समिति की अगस्त, 2024 तक जनपद गोंडा, बस्ती, प्रयागराज, चित्रकूट, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, आजमगढ़, सहारनपुर एवं आगरा में अभी तक कोई बैठक सम्पन्न नहीं हुई है। निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाही- लोक निर्माण तथा परिवहन विभाग)

4. यह भी पाया गया कि कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के स्तर पर गठित लीड एजेन्सी द्वारा सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित आंकड़ों को सही ढंग से नहीं तैयार किया जा रहा है। निर्देशित किया गया कि जनपद व सम्बन्धित अधिकारीगण से वार्ता कर, आकड़ों का सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार करायी जाय।

(कार्यवाही- परिवहन विभाग)

5. संज्ञान में लाया गया कि जनपद फिरोजाबाद, उन्नाव, हरदोई, गोरखपुर, महराजगंज, चन्दौली, सिद्धार्थनगर एवं अयोध्या के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा इण्टरसेप्टर वाहन से कोई चालान नहीं किया गया है। उक्त के अतिरिक्त कतिपय जनपदों के अधिकारियों द्वारा कम प्रवर्तन कार्यवाही की गयी है। निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाही- परिवहन विभाग)

6. यह भी संज्ञान में लाया गया कि जिस कार्य हेतु इंटरसेप्टर का क्रय किया गया है, उस कार्य हेतु इण्टरसेप्टर का प्रयोग न करते हुए, अन्य कार्यों हेतु उपयोग किया जा रहा है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाही- परिवहन विभाग)

7. जनपद एटा, रायबरेली, झांसी, उन्नाव, मेरठ एवं अम्बेडकरनगर द्वारा निलम्बन हेतु प्राप्त लाइसेंस के सापेक्ष कम लाइसेंस निलम्बित किये गये हैं। निर्देशित किया गया कि तीन

से अधिक चालान वाले चालकों के ड्राईविंग लाइसेंस का निलम्बन तथा 10 से अधिक चालान वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन को निरस्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में नियमित अनुश्रवण किया जाये। साथ ही ऑनलाइन स्वतः ड्राइविंग लाईसेंस निलम्बन तथा स्वतः वाहन रजिस्ट्रेशन निरस्तीकरण हेतु तकनीकी प्रणाली एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत विकसित की जाए।

(कार्यवाही- परिवहन विभाग)

8 सी०एम० डैशबोर्ड की भाँति ही परिवहन विभाग का डैशबोर्ड विकसित किया जाये जिस पर प्रवर्तन संबंधी इंडीकेटर्स निर्धारित करते हुए प्रभावी अनुश्रवण किया जाये। साथ ही प्रदेश व्यापी सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत पृथक रूप से डैशबोर्ड विकसित किया जाये जिसमें सड़क सुरक्षा संबंधी इंडीकेटर्स को अंकित कर समस्त स्टेक होल्डर विभाग के समन्वय से प्रभावी अनुश्रवण किया जाये।

(कार्यवाही- परिवहन विभाग)

9. समस्त एक्सप्रेस-वे तथा हाई-वे पर सड़क दुर्घटना रोकने हेतु जनपदों की सीमाओं के इंट्री प्वांइट पर ही अनिवार्य रूप से वाहनों की जाँच की जाये।

(कार्यवाही- परिवहन तथा पुलिस विभाग)

10. सभी जनपदों द्वारा डीलर प्वाइंट पर रोड सेफ्टी कॉर्नर स्थापित किया जाये, जिन जनपदों द्वारा माह अक्टूबर, 2024 तक रोड सेफ्टी कॉर्नर स्थापित नहीं कराया जायेगा उनके विरुद्ध स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही- परिवहन विभाग)

11. समस्त जनपदों द्वारा उ०प्र० दुर्घटना जांच योजना, 2023 के नियम-4 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय दुर्घटना जांच समिति तथा नियम-9 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन अनिवार्य रूप से सितम्बर, 2024 तक सुनिश्चित किया जाये। उक्त समय सीमा तक गठन न करने वाले जनपदों के विरुद्ध स्पष्टीकरण प्राप्त कर यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाही- परिवहन विभाग)

12 eDAR/iRAD पर पुलिस विभाग के स्तर पर 2482 सड़क दुर्घटनायें फीड नहीं की गयी हैं। परिवहन विभाग के स्तर पर 1059, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर 344 तथा

एन0एच0ए0आई0 के स्तर पर 09 प्रकरण पर फीड करने हेतु लम्बित है। सर्वाधिक लम्बित प्रकरणों को फीड कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही- परिवहन विभाग/लोक निर्माण विभाग/पुलिस विभाग)

13. ट्रैक्टर ट्राली एवं भारी वाहनों के चालकों को यातायात नियमों के प्रति संवेदीकृत किये जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायें।

(कार्यवाही- परिवहन विभाग)

14. इलेक्ट्रानिक इन्फोर्समेंट से संबंधित कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि स्टेट हाईवे पर लोक निर्माण विभाग द्वारा ओवरलोडिंग/ओवरस्पीडिंग की जांच हेतु WIM एवं ANPR कैमरा स्थापित होना शेष है।

(कार्यवाही - लोक निर्माण विभाग)

15. अवगत कराया गया कि परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में खनन विभाग के 07 check gates के स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा वर्ष 2024-25 में 18 Check Gates पर Weigh-in-Motion स्थापित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त कार्य प्राथमिकता पर कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही - परिवहन विभाग/खनन विभाग)

16. रोड सेफ्टी क्लब के सदस्यों/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट-गाइड/रेंजर-रोवर के माध्यम से सड़क सुरक्षा संबधी जागरूकता कार्यक्रम प्रमुख स्थानों- ब्लॉक, तहसील एव जनपद स्तर पर आयोजन कराया जाये। इसका प्रभावी अनुश्रवण जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से किया जाये।

(कार्यवाही- बेसिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग)

17. मार्ग के किनारे स्थित वियालयों में रोड सेफ्टी क्लब एवं प्रधानाचार्य/प्रबधक के माध्यम से सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति विद्यार्थियों को हाइवे समेत समस्त मार्गों को सही प्रकार से क्रॉस करने सम्बन्धी आदि जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित कर जागरूक किये जायें।

(कार्यवाही- बेसिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग)

18. प्रत्येक जनपद में विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की नियमित बैठक करायी जाये

तथा डी0आई0ओ0एस0/बी0एस0ए0 द्वारा प्रधानाचार्य/प्रबंधक के माध्यम से विद्यालयों के द्वारा संचालित एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा संचालित स्कूल बसें/वैन की सूची संबंधित सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही- बेसिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग)

19. सभी जिला सड़क सुरक्षा समिति में ब्लैक स्पॉट सुधारीकरण हेतु नियमित रूप से समीक्षा की जाये तथा वर्ष 2024 मे चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अल्पकालिक सुधारीकरण का कार्य दिसम्बर, 2024 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय द्वारा ब्लैक स्पॉट सुधारीकरण की ऑनलाइन रूप से समय-सीमा निर्धारण हेतु विष्वकर्मा पोर्टल को अपग्रेड किये जाने के निर्देश दिये गए।

(कार्यवाही- लोक निर्माण विभाग एवं समस्त सड़क निर्माण एजेंसी)

20. शासन द्वारा निर्देशित प्रत्येक जनपद में एक एन0एच0 तथा एक एस0एच0 को मॉडल सेफ रोड के रूप में प्रत्येक दशा में 30 सितम्बर, 2024 तक जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के माध्यम से चयन कराना सुनिश्चित करें। जिन जनपदों मे मॉडल सेफ रोड का चयन कर लिया गया है, उन मार्गों पर रोड सेफ्टी ऑडिट कराते हुए कार्ययोजना बनाकर अग्रेतर कार्यवाही तथा कृत कार्यवाही का विवरण जिला सड़क सुरक्षा समिति के कार्यवृत्त में अनिवार्य रूप से अंकित किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही- लोक निर्माण विभाग)

21. लम्बी दूरी तथा एक्सप्रेस-वे पर चलने वाली समस्त निजी क्षेत्र की बसों में स्लीप एलर्ट डिवाइस तथा डैशबोर्ड कैमरा स्थापित कराये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। परिवहन निगम की शेष बसों में भी स्लीप एलर्ट डिवाइस लगाये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही- परिवहन विभाग तथा परिवहन निगम)

22. बसों के चालकों का नियमित रूप से प्रत्येक 06 माह के अन्तराल पर, सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रमों एवं सड़क सुरक्षा माह/पखवाड़े में ड्राइविंग प्रशिक्षण के साथ-साथ नेत्र परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये।

(कार्यवाही- परिवहन विभाग, परिवहन निगम तथा स्वास्थ्य विभाग)

23. क्षेत्रीय प्रबंधक तथा संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से बसों में लगे हुए स्पीड लिमिट डिवाइस तथा स्लीप एलर्ट डिवाइस की क्रियाशीलता की जांच, बस चालकों का

ब्रेथ एनालाइजर से नियमित जांच, अवैध रूप से संचालित बसों तथा मालवाहक वाहनों में यात्रियों को ढोने के विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही- परिवहन विभाग तथा परिवहन निगम)

24. समस्त जनपदों से आमजनमानस के साथ ही गैर सरकारी संगठन (NGOs) तथा पुलिस कर्मियों/यातायात कर्मी/होमगार्ड्स को भी गुड सेमेरिटन के रूप में चिन्हित करते हुए गुड सेमेरिटन से संबंधित सूचना प्रेषित की जाये।

(कार्यवाही- परिवहन तथा पुलिस विभाग)

25. दिनांक 02.10.2024 से दिनांक 16.10.2024 तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही- समस्त स्टेक होल्डर विभाग)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

संलग्नक-यथोक्त।

Signed by
Khempal Singh
Date: 27-09-2024 16:30:34
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-2591/तीस--3-2024
लखनऊ: दिनांक: 28 सितम्बर, 2024

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, परिवहन विभाग, उ0प्र0।

(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, नगर विकास विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, आबकारी विभाग, खनन विभाग, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात एवं सड़क सुरक्षा), उ0प्र0।

(4) परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।

(5) प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।

(6) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा/यीडा/उपशा।

(7) क्षेत्रीय अधिकारी (पूर्वी/पश्चिमी), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उ0प्र0।

(8) परिवहन अनुभाग-1, 2 एवं 4, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि अपने से संबंधित बिन्दुओं पर प्रभावी अनुश्रवण कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Nitin Kumar Gupta
Date: 27-09-2024 18:08:54

(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।